न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर

(आर॰ए॰एस॰)

दायर दिनांक–24–11–2022

मुकदमा नम्बर 228 / 2020

बाजदायरी 116 / 2022

श्रवण कुमार पुत्र श्री नानगराम जाति मीणा निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र मक्खनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज॰।
2. नरेश पुत्र मक्खनलाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुरेन्द्र पुत्र मक्खनलाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. झिमकोरी पत्नी सांवतराम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. दीनदयाल पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. पूर्णमल पुत्र केदार जाति अहीर निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. बृजलाल पुत्र जीवनराम जाति मीणा निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. बनवारी पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. बाबुलाल पुत्र बंशीधर जाति मीणा निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. भागीरथ पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. मुन्नाराम पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. महावीर पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
13. माधव प्रसाद पुत्र विसनाराम जाति माली निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. राकेश पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
15. रामचन्द्र पुत्र केदारमल जाति अहिर निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
16. नत्थू पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
17. बहादुर पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
18. प्रदीप पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
19. निर्मला पुत्री रामगोपाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
20. सुशील पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
21. रामप्रसाद पुत्र गोरूराम जाति अहीर निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

22. रामलाल पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
23. श्योकरण पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
24. श्रीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
25. सांवतराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
26. सीताराम पुत्र चिमनाराम जाति माली निवासी ग्राम चिमनराम की ढाणी बसावा तहसील नवलगढ ।
27. प्रबंधक जरिये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — **श्री शिवकुमार बंका**

वकील प्रति. :— **श्रीकांत मुरारका/सज्जन चाहर**

दावा : बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा,
दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 10—11—2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :— वाके राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा कि सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके वादी व प्रतिवादीगण 4 लगायत 27 खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादीगण 9 का राजस्व रिकार्ड में गलती से नाम दर्ज किया हुआ है।

वाद—पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमियों मे से भूमि हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर को सदैव से ही वादी व वादी का परिवार काश्त करता आ रहा है तथा अब वादी काश्त कर रहा है। वादी से पूर्व वादी के पिता व वादी के दादा काश्त करते आ रहे थे। समस्त भूमि का सह—काश्तकारों ने अन्दाजन मौखिक रूप से बटवारा कर रखा व अलग—अलग सीमायें बनाकर अलग—अलग अपने—अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 9 ने कभी भी उक्त भूमि को काश्त नही किया। राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर [illegible] जाति मीणा दर्ज कर रखी है, जबकि मीणा जाति में बसावा ग्राम में उपरोक्त नामों के कोई व्यक्ति नहीं है। [illegible] लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 9 कि सही एवं वास्तविक जाति महाजन है। वादी का परिवार [illegible] अनपढ़ व अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति था जो जमीनों के रिकॅार्ड वगैरह कि किसी भी बात का ज्ञान नही था। [illegible] भूमि हाल खसरा नम्बर 950 जिसके गत खसरा नम्बर जिसके गत खसरा नम्बर 248 है को ठिकानों के समय से ही वादी का पिता काश्त करता था व वादी के पिता कि मृत्यु के पश्चात अब वादी काश्त करता है वादी भी अनपढ़—अशिक्षित है। वादी को भी रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (क्रम. ट्रे.)
नवलगढ

12

...का ज्ञान नही था अब वादी को घरेलू कार्यवश कुछ धन राशि की जरूरत होने पर वादी किसान कार्ड बनवाने हेतु वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि की जमाबंदी लेने गया तो पता चला कि वादी कि भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 कि खातेदारी में दर्ज हो रखी है जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 का भूमि हाल खसरा नम्बर 950 से कोई सम्बन्ध नही है। वादी का जब इस गलत रिकार्ड का पता चला तो गांव के किसी समझदार व्यक्ति को लेकर तहसील में आया व तहसील से सम्पूर्ण रिकार्ड निकाला व रिकार्ड गलत ही मिला। इस प्रकार गलत रिकार्ड का पता चलने पर वाद प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व रिकार्ड में वादी कि भूमि में वादी का नाम दर्ज नही होने से व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व 9 का नाम दर्ज रहा जाने से वादी के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। भूमि से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भूमि में किसी भी प्रकार सुधार कार्य भी नही कर सकता ना ही अन्य कोई सरकारी सहायता भी प्राप्त नही कर सकता। अगर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 का नाम राजस्व रिकार्ड से नही हटाया जाता है तो वादी कि सख्त हक तलफी व अपूरणीय क्षति होगी। इसिलए भूमि हाल खसरा नम्बर 950 स्थित सरहद ग्राम बसावा के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 का नाम हटवाने व वादी का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज कर वादी के नाम खातेदारी घोषित किया जाना उचित व न्यायपूर्ण है।

वादी ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व 9 डिक्री फरमाया जाकर आदेश इस प्रकार का दिया जावे कि ग्राम बसावा कि सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 का नाम हटाया जावे व उनके स्थान पर उक्त कुल भूमि के राजस्व रिकार्ड में 3.602 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व 9 को इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो तादौराने दावा भूमि को विक्रय नही रखे व वेस्ट व डेमेज नही करे तथा इसी अनुसार भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करके व विधिवत रूप से विभाजन करके वादी के हिस्से में मौखिक रूप से आई हुई भी खसरा नम्बर 950 का अलग विभाजन करके अलग खाता बनाया जावे व वादी को इसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो व वादी के हक में पड़ती है वो दिलवाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 को तलबी प्रतिवादीगण की तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय हाजा में कोई भी उपस्थित नही होने के सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने एवं इनकी ओर से प्रकरण में कोई प्रति–रक्षा प्रस्तुत नही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

तत्पश्चात नियत पेशी दिनांक 06.01.2022 को वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता बजरंग से मूण्ड को बार–बार रूक–रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाने के बावजूद भी इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर प्रकरण बाद फैसल दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

इसके पश्चात प्रकरण के निस्तारण का वादी के संज्ञान मे आने पर वादी द्वारा वकील अधिवक्ता श्री शिवकुमार बंका का वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 4 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी को आश्वस्त किया गया कि अभी कॉरोना चल रहा है जब आपकी आवश्यकता होगी आपको सूचना कर दी जावेगी। प्रार्थी भी कॉविड के कारण न्यायालय में नही आ सका। प्रार्थी अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है प्रार्थी ने अपने वकील पर पूरा विश्वास किया था कि वकील सूचित करने पर न्यायालय में हाजिर हो जायेगे। प्रार्थी को प्राथी वकील साहब द्वारा कोई सूचना नही दी गई।

जनवरी 2022 में भी कॉरोना महामारी का प्रकोप रहा इसलिए प्रार्थी न्यायालय में नही आ सका अब प्रार्थी ने दिनांक 13.04.2022 अप्रेल में अपने वकील साहब से सर्म्पक किया उन्होने प्रार्थी को कोई संतोषप्रद जवाब नही देने पर प्रार्थी ने अपना दुसरा वकील नियुक्त कर दावे से संबंधित नकल निकलवाने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि दावा अदम हाजर अदम पैरवी में दिनांक 06.01.2022 को खारिज हो गया है। प्रार्थी अपने दावे की पैरवी करन चाहता है प्रार्थी का दावा दिनांक 06.01.2022 को खारिज कर दिया उसे पुनः नम्बर पर लेकर विधिवत रूप से कार्यवाही करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.05.2022 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर मूल वाद को पुनः रिस्टोर किये जाने के आदेश पारित किया गया है जिसके फलस्वरूप मूल प्रकरण को पुनः नम्बर 116/2022 पर लिया गया है।

तद्पश्चात प्रकरण में गिरदावर हल्का को मौका फीस 500/– रूपये पर मौका कमीशनर नियुक्त कर मौका एवं राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त की रिपोर्ट चाही गई। मौका कमीशनर अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2022/1844 दिनांक 03.08.2022 में उल्लेख किया है कि ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 2.0300 हैक्टर भूमि के मोके पर रामप्रसाद पुत्र गोरूराम जाति अहरी निवासी गोठडा काबिज होकर फसल खरीफ की काश्त कर रखी है तथा भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 3.02 खसरा नम्बर 1005 रकबा 2.71 हैक्टर भूमि के मौके पर माधव प्रसाद, सीताराम पुत्र बिनशनाराम जाति माली हिस्सा 3.00 हेक्टर एवं भागीरथ, महावीर प्रसाद, रामलाल श्रीराम पुत्र भगवाना राम जाति जाट हिस्सा 2.75 हैक्टर पर काबिज होकर फसल खरीफ की काश्त कर रखी है। माधव प्रसाद, सीताराम पुत्र बिशनाराम द्वारा इन खसरा नम्बरों प[illegible] आवासीय मकान बनाकर आवास कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 1084 रकबा 2.84 [illegible] भूमि के मौके पर झिमकोरी पत्नी सांवतराम, राकेश पुत्र सांवतराम, शिवकरण पुत्र चन्द्राराम, सांवतराम पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/9 जाति जाट निवासी काबिज

ए. सी. ई. एम. (प्र. द्वे.)
नवलगढ़

होकर पक्का आवास एवं फसल खरीफ कर काश्त कर रखी है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इनके हिस्सा में 9.00 हैक्टर है लेकिन खसरा नम्बर 1084 रकबा 2.84 सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है।

ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि के मौके पर वादी श्रवण कुमार पुत्र नानगराम जाति मीणा काबिज होकर फसल खरीफ बाजरा, गवार, मूंग की काश्त कर रखी है तथाा दो छोटे टिन शैड के द्वारा एवं एक कच्चा छप्पर बना रखा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इनके नाम का अपने नाम दर्ज नही है।

ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 2.44 हैक्टर भूमि के मौके पर बनवारी लाल, मुन्नाराम पिता सुरजाराम हिस्सा 1.20 हैक्टर रामदेव पुत्र सुरजाराम रकबा 0.43 हैक्टर तथा बृजलाल पुत्र जीवणराम हिस्सा 0.770 हैक्टर जाति मीणा का कब्जा होकर फसल खरीफ की काश्त कर रखी है।

ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 1023 रकबा 1.09 किता 02 रकबा 2.45 हैक्टर भूमि मोके पर खाली पडी हुई है। मोके पर फसल काश्त नही हैं ग्राम से प्राप्त जारकारी के अनुसार यह भूमि खसरा नम्बर पूर्णमल, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण केदार मल जाति महाजन की होना बताया गया है।

वर्तमान मोके की स्थिति के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारों अनिल, नरेश, सुरेन्द्र पुत्रगण मक्खनलाल, दीनदयाल पुत्र भागीरथ, सुरेश कुमार पुत्र बाबूलाल पूर्णमल रामगोपाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन का कब्जा नही है यह यहां बसावा में निवास नही करते है। अन्य प्रदशों में निवास करते है।

हस्तगत प्रकरण में मौका कमीशनर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में गवाह वादी स्वयं पी.डब्ल्यू–1 श्रवण कुमार एवं गवाह अनिल कुमार पी.डब्ल्यू–2 उपस्थित होकर अपने चीफ के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 नामान्तकरण व प्रदर्श–3 ईकरारनामा आदि प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही एवं इनकी ओर से कोई प्रति–रक्षा प्रस्तुत नही की जाने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि वाके राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा कि सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण 4 लगायत 27 खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण 9 का राजस्व रिकार्ड में गलती से नाम दर्ज हो गया। वादग्रस्त भूमि मे से हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर को सदैव से ही वादी व वादी का परिवार काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में वादी काश्त कर रहा है। वादी से पूर्व वादी के पिता व वादी के दादा काश्त करते आ रहे थे। समस्त भूमि की सह–काश्तकारों ने अन्दाजन मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा व अलग–अलग सीमायें बनाकर अलग–अलग अपने–अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नम्बर 9 ने कभी भी उक्त भूमि को काश्त नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नयनगढ़

किया। राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नम्बर व 9 की जाति मीणा दर्ज है जबकि मीणा जाति में बसावा ग्राम में उपरोक्त नामों के कोई व्यक्ति नही है। उक्त प्रतिवादीगण की सही एवं वास्तविक जाति महाजन है। वादी का परिवार व पिता अनपढ़ व अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति था। जमीनों के रिकॉर्ड वगैरह कि किसी भी बात का ज्ञान नही था। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 950 जिसके गत खसरा नम्बर जिसके गत खसरा नम्बर 248 है को ठिकानों के समय से ही वादी का पिता काश्त करता था व वादी के पिता कि मृत्यु के पश्चात अब वादी काश्त करता है वादी भी अनपढ़–अशिक्षित है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा मक्खनलाल को प्रतिफल देकर क्रय किया गया है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नही होने से व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 व 9 का नाम दर्ज रहने से वादी के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भूमि में किसी भी प्रकार सुधार कार्य भी नही कर सकता ना ही अन्य कोई सरकारी सहायता भी प्राप्त नही कर सकता। अगर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 व 9 का नाम राजस्व रिकार्ड से नही हटाया जाता है तो वादी कि सख्त हकतलफी होगी। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इसिलए भूमि हाल खसरा नम्बर 950 स्थित सरहद ग्राम बसावा के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 व 9 का नाम हफज किया जाकर खसरा नम्बर 950 की वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तो वादी को खसरा नम्बर 950 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद–पत्र के माध्यम से वादी द्वारा विभाजन की रिलीफ चाही है। वादी विभाजन नही करवाना चाहता है। विभाजन की सिद्धि को छोड़कर शेष सिद्धिया दिया जावे।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1 ग्राम बसावा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वाके राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हैक्टर भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–3 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि प्रथम पक्षकार मेरे सगे भाई भागीरथ, बाबुलाल ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हैक्टर स्थित है जिसमें हमारा 3/15 हिस्सा है। उपरोक्त खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर सम्पूर्ण हिस्सा जो हमारे बाहमी बंटवारे और हमार कब्जे काश्त में है को द्वितीय पक्षकार श्रवणी मीणा ने 35,000/– अक्षरे पैतीस हजार रूपये मात्र/– में विक्रय कर दिया है जिसमें से प्रथम पक्षकार मखनलाल व मेरे सगे दोनो भाई भागीरथ, बाबूलाल की सहमति से हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए द्वितीय पक्षकार से 30,000/– रूपये दिनांक 08.01.1991 को नकद प्राप्त कर लिये है। तथा तथा शेष राशि 5000/– रूपये द्वितीय जब भी [illegible] रोज विक्रय पत्र यानि बेचान नामा तस्दीक करवा देगे जिसमे हम किसी प्रकार की [illegible] खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर का सम्पूर्ण कब्जा द्वितीय पक्षकार सम्भला दिया है। द्वितीय पक्षकार अपनी इच्छा अनुसार भूमि को काश्त कराये व अन्य किसी से कराये इसमें कोई आपति नही है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में तत्कालीन सरपंच ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

पंचायत बसावा श्री नेमीचन्द के सरपंच की मुद्रा सहित हस्ताक्षर है एवं विक्रेता श्री मक्खनलाल एंव क्रेता श्रवण के स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित है। गवाह श्री नन्दलाल पुत्र स्व0 झाबरमल जाति जागिड निवासी बसावा अपने शपथ पर में कथन किया गया है कि "विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1022, 1023, 1024, 1025, 1084, 950, 957, 966 रकबा क्रमशः 2.03, 1.09, 3.02, 2.71, 2.84, 2.52, 1.36, 2.44 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 18.01 हेक्टर ग्राम बसावा में स्थित है तथा इस भूमि को काश्त करते है, मै जब से समझने लगा तब से करीब 52 से 53 साल से वादी के पिता को काश्त करते देखा है। वादी के पिता नागगराम की मृत्यु के पश्चात वादी व वादी का परिवार काश्त करता है पशु–धन गाय, बकरी रखता है उनके बांधने के लिये टिनों का ढारा छान छप्पर कच्चे पक्के मकान बनाकर रहता है। उक्त खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर मेरे खेत पास पूर्व की तरफ हाल भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 02.52 हैक्टर को सदैव से ही वादी व वादी का परिवार काश्त करता है वादी से पहले वादी का पिता काश्त करता था वादी जिस भूमि को काश्त करता है उसकी अलग–अलग सीमा बनी हुई है। अन्दाज से काश्त करते है प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 व 9 को मैने कभी भी इस भूमि को काश्त करते नही देखा है। "विक्रेता मक्खनलाल का इस दौरान मृत्यु हो गई जिसकी नामान्तरकरण से उक्त भूमि मक्खन के विधिक वारिसान के खातेदारी में दर्ज हो गई। जिससे वादी के हक अधिकारों पर कुठाराधात हुआ है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त मौका कमीशनर रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2022/1844 दिनांक 3.08.2022 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि के मौके पर वादी श्रवण कुमार पुत्र नानगराम जाति मीणा काबिज होकर फसल खरीफ बाजरा, गवार, मूंग की काश्त कर रखी है तथा दो छोटे टिन शैड के द्वारा एवं एक कच्चा छप्पर बना रखा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इनके नाम का अंकन दर्ज नही है। मौका कमीश्नर रिपोर्ट से खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर का कब्जा काश्त वादी का बताया गया जो प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी लगभग 52 से 53 होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 व 9 ने तथा उसके पूर्वजों ने वादी व वादी के पिता के विरूद्ध आज तक बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत नही किया तथा वादी के पिता तथा वादी के पिता की मृत्यु क बाद वादी का आज तक शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 व 9 के द्वारा इस विवादित भूमि बाबत कोई विवाद ना तो पहले हुआ है ना ही वर्तमान में है इसलिए वादी का वाद–पत्र घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायोचित होना कथन किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के माध्यम से विभाजन की सिद्धी भी चाही गई है परन्तु वकील वादी ने दौराने बहस विभाजन हेतु किसी प्रकार का तर्क नही दिया गया है। तथा वकील वादी एवं वादी स्वयं द्वारा विभाजन की सिद्धी को विड्रा किया गया है तो ऐसी स्थिति में विभाजन की सिद्धि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1)(iv) के अनुसार "जबकि वह अधिपत्य से वंचित कर दिया गया हो और अधिपत्य पुनः लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गया हो" के आधार पर भी वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा अपना वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। वादी की सहमति पर न्यायालय राय में वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

18

देय मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क वादी से जमा किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में वर्तमान खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 9 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के घोषित खातेदारी की भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें। स्थाई रूप से यथास्थिति बनाये रखे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) मुकाम नवलगढ़

बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰)

दावा : बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा,
दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन

मुकदमा सं0:– 228/2020 **(श्रवण बनाम अनिल आदि)**

बाजदायरी – 116/2022

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.11.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में वर्तमान खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 9 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर खसरा नम्बर 950 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के घोषित खातेदारी की भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें। स्थाई रूप से यथास्थिति बनाये रखे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.11.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर, (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़, जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:05 IST
Reason: SelfAttested